

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 14.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

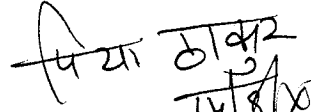
माननीय सांसद (Retd.) Lt.Gen. (Dr.) D. P. Vats के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 747 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	VANSH BHARDWAJ	SH. PAWAN BHARDWAJ MOB- 9910120476, 8920622292	5	NO.1 GURUGRAM SEC-14
2	DEVENDER	SH. PARVESH KUMAR DIPTI MOB- 9910334053	7	NO.1 GURUGRAM SEC-14
3	BHAVISHAY	SH. PAWAN KUMAR MOB- 9213912707	7	NO.1 AFS CAMPUS SEC-14 GURUGRAM
4	UMANG	SH. NARESH SHARAM MOB- 9466587084	2	MATHANA KURUKSHETRA
5	PUERNIMA	SH. VIJAY KUMAR MOB- 9802088409	2	HISAR CANTT.
6	SAKSHAM	SH. DEVENDER SHARMA MOB- 8570845194	1	HISAR CANTT.
7	MUSKAN SHARMA	SH. SUNIL SHARMA MOB- 9255909500	7	HISAR CANTT
8	JESUS BHARDWAJ	SH. ANIL KUMAR MOB- 9813734239	6	PALUWAS BHIWANI
9	KESHAV	SH. MANOJ KUMAR MOB- 9315563002	6	HISAR CANTT
10	DIVYANSHI KAUSHIK	SH. D.P. KAUSHIK MOB- 9873659883	7	NO.1 SEC-14 GURUGRAM

पेशा ठाकुर
कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) 

प्रतिलिपि:

1. (Retd.) Lt.Gen. (Dr.) D. P. Vats माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **GURUGRAM** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)